191

प्रेषक,

संख्याः 45/XXIV-3/15/02(141)2011

डॉ0एम0सी0जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3,

देहरादून, दिनांकः09 मार्च, 2015

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2014–15 में आवश्यकता से न्यून धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से करते हुए धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 अर्थ–1/30957/5क(15)/01/2014–15 दिनांकः 06 जनवरी, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिष्ठान संबंधी कतिपय मानक मदों के अन्तर्गत आय–व्ययक में आवश्यकता से कम धनराशि प्राविधानित होने के कारण मानक मद अन्य भत्ता, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता में आवश्यकतानुसार भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु संलग्नक बी0एम0–09 (भाग एक) में इंगित विवरणानुसार अनुदान संख्याः 11 के आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 1650 हज़ार तथा महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत मानक मद गाडियों का अनुरक्षण एवं पैट्रोल आदि की खरीद में आवश्यकतानुसार भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु संलग्नक बी0एम0–09 (भाग एक) में इंगित विवरणानुसार अनुदान सं0 11–आयोजनागत पक्ष में रू0 75 हज़ार इस प्रकार कुल रू0 1725 हज़ार (रूपये सत्रह लाख पच्चीस हज़ार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है एवं व्यय करते समय विभागीय तथा वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बज़ट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(ग) यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(घ) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 318/XXVII (1)/2014, दिनांकः 18.03.2014 एवं शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012, दिनांकः 28.03.2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

(ड़) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(च) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है कि उस मद में कदापि अतिरिक्त धनराशि की मांग न की जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान सं0 11 आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संलग्नकों (बी0एम0–09) में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 88 (NP)/XXVII (3)2014–15 दिनांकः 03 मार्च, 2015 में प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0एम0सी0 जोशी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 45/XXIV-3/15/02(141)2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव–सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
3– जिलाधिकारी देहरादून।
5– कोषाधिकारी देहरादून।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2, 4 एवं 5 उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

(वित्तीय वर्ष 2014-2015)

बी .एम. - 09

दान संख्या - 011

नर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 45/XXIV-3/15/02(141)201

अलोटमेंट आईडी - R1503110270

दिनांक - 07-Mar-2015

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखाशिर्षक (1)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी	अभियुक्ति
	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान 00 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान (Non Plan Voted)				2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान 00 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान (Non Plan Voted)			
1	01 - वेतन 23000000	19781403	2618597	600000	06 - अन्य भत्ते 550000	3080000	22400000	
2	03 - महंगाई भत्ता 25300000	17862580	6387420	1050000	08 - कार्यालय व्यय 90000	590000	24250000	
	योग			1650000	16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं 1000000	2000000		
					22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि 10000	85000		
					योग 1650000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी

(महिमा)
उपसचिव
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2014-2015)
बी .एम. - 09

दान संख्या - 011
र्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 45/XXIV-3/15/02(141)201

अलोटमेंट आईडी - R1503110268
दिनांक - 07-Mar-2015

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखाशिर्षक (1)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी	अभियुक्ति
	2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 05 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कार्यालय 00 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के कार्या (Plan Voted)				2202 सामान्य शिक्षा 02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 05 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा काय 00 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के व (Plan Voted)			
1	19 - विज्ञापन, बिक्री और विक्य 200000	0	125000	75000	15 - गाडियों का अनरक्षण और पेटोल 75000	125000	125000	
	योग			75000	योग 75000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी

(महिमा)
उपसचि
विद्यालयी शि
उत्तराखण्ड शा